Allocation of Funds to the Department of Culture

1331. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Planning Commission have not adequately allocated funds to the Department of Culture for the preservation of country's cultural heritage;

(b) if so, the details of allocations made during the last three years;

(c) whether Government propose to allocate special funds for the conservation of various monuments; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE FOR PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAVA): (a) Plan funds are allocated at the time of Annual Plan discussions with the concerned Department/Ministry every year on the basis of the expenditure pattern of the previous year programme of expenditure anticipated during the current year and overall resource position etc. by the Planning Commission.

(b) The details of allocations made during the last 3 years are as follows:

During 1992-93 — Rs. 7000.00 lakhs
During 1993-94 — RS. 7885.00 lakhs
During 1994-95 — Rs. 11500.00 lakhs

(c) There is no separate proposal to this effect. However, there is a regular scheme for archaeological conservation preservation and maintenance of monuments being implemented by Archaeological Survey of India.

(d) Do not arise.

एक व्यापक श्रम कानून बनाने संबंधी प्रस्ताव

1332. **श्री नागमणि:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक व्यापक श्रम कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कानून की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इससे श्रमिकों की शिकायतों को शीघ्र निपटाने तथा औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) से (घ) नए औद्योगिक संबंध विधान पर रामानुजम् समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर विभिन्न मंचों पर हुए विचार विमर्शों और औद्योगिक पुनर्संरचना संबंधी अंतर-मंत्रालयीन ग्रुप की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने संबंधी विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार किया गया है जिन्हें उपयुक्त समय पर अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों का मूल विषय औद्योगिक विवादों के समाधान में द्विपक्षीयता सुनिश्चित करने पर है ताकि अधिक संभव सीमा तक तीसरे पक्षकार के हस्तक्षेप से बचा जा सके, औद्योगिक क्षेत्र में अधिक निवेश करने तथा कर्मकारों के लिए जबरी छुट्टी और छंटनी का उच्चतर मुआवजा प्रदान करने के लिए रोजगार सृजन हेतु आवश्यक परिस्थितियां तैयार की जा सकें और अधिनियम को मूर्तरूप दिया जा सके जिससे औद्योगिक संबंधों में बढ़े हुए उत्पादन और उत्पादकता के लिए प्रेरक अधिकतम स्तर को सुनिश्चित किया जा सके।

Divesting equity in Singareni Collieries

1333. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government of India wants to divest its equity in Singareni collieries;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether any private parties have been contacted; and

(d) if so, the details thereof?